



राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831 Toll Free HelpLine- 9928900900)

E-mail: ftsrslsa@gmail.com Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:- 14/2022

दिनांक:- 8/03/2022

सीमित निविदा

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर में दिनांक 12.03.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में कार्यरत स्टाफ, उपस्थित अधिवक्ता, प्रकरणों से संबंधित वादी प्रतिवादी प्रतिनिधि इत्यादि के लिए वर्किंग लंच व्यवस्था हेतु निम्नानुसार फूड पैकेट तैयार करने एवं सप्लाई करने वाली प्रतिष्ठित फर्मों से बन्द लिफाफों में सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है:-

| क्र. स. | सामग्री का नाम | फूड पैकेट में निम्नानुसार सामग्री सम्मिलित होगी | मात्रा | अनुमानित व्यय राशि रु. |
|---------|----------------|---|--------|---|
| 1. | फूड पैकेट | 1. बटर पनीर मसाला | 1 | 450 फूड पैकेट की अनुमानित राशि 60,000/- |
| | | 2. छोला मसाला | 1 | |
| | | 3. दाल मखानी | 1 | |
| | | 4. जीरा राईस | 1 | |
| | | 5. तवा चपाती | 4 | |
| | | 6. गुलाब जामुन | 1 | |
| | | 7. सलाद | 1 | |
| | | 8. अचार | 1 | |
| | | 9. दही रायता | 1 | |
| | | 10. नेपकीन व चम्मच | 1 | |

निविदा दिनांक 10.03.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदा उसी तिथि को दोपहर 03:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेगे।

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा में प्रेषित दरों में सभी कर एवं चार्जज सम्मिलित होंगे।
2. सामग्री उच्च क्वालिटी की एवं उक्त सारणी के अनुसार ही होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय करने की संख्या कम ज्यादा करने का समिति का अधिकार होगा।
4. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
5. सप्लाई संतोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
6. राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर के द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होगी।
7. आपूर्तिकर्ता को उक्त सामग्री निर्देशानुसार राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर में निर्देशानुसार सप्लाई करनी होगी।
8. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।

सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
जयपुर।

क्रमांक:- 15 + 017/2022

दिनांक:- 08/03/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर।
1. प्रोग्रामर अधिकारी को SPPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित पत्रावली।

सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
जयपुर।